

उत्तराखण्ड शासन
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग
संख्या /VII-3-23/166-उद्योग/2011टी0सी0
देहरादून: दिनांक: 22 फरवरी, 2023

अधिसूचना

एतद्वारा राज्य में औद्योगिकीकरण के माध्यम से रोजगार के तहत अवसरों के सृजन तथा बड़े निवेश के लिये उद्यमों को स्थापित करने के लिये आवश्यक समयबद्ध अनुज्ञापन, अनुज्ञायें व स्वीकृतियां प्रदान करने के लिये उत्तराखण्ड एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन अधिनियम, 2012 प्रख्यापित किया गया है। इसी अधिनियम की धारा 14 में विहित प्राविधान के दृष्टिगत व निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के लिये "प्रवर्ग विशेष के उद्यमों को अनुकूलित पैकेज/रियायत स्वीकृत किये जाने हेतु प्रक्रिया एवं दिशानिर्देशों(संलग्नक) के प्रख्यापन" की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(डॉ० पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव।

संख्या: 372/VII-3-23/166-उद्योग/2011टी0सी0, तददिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊ, उत्तराखण्ड।
5. महानिदेशक/आयुक्त, उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड।
6. प्रबंध निदेशक, सिडकुल, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड शासन।
8. उपनिदेशक/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, उत्तराखण्ड।
9. अपर निदेशक राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, जनपद हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि उक्त को आगामी गजट में प्रकाशित करते हुए, 50 प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. एन०आई०सी० सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड शासन।
11. वित्त (व्यय एवं नियंत्रण) अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
12. गार्ड फाईल

1332
13/2/23

आज्ञा से,
देहरादून 22/2/23
(महावीर सिंह परमार)
अनु सचिव।

प्रवर्ग विशेष के उद्यमों को अनुकूलित पैकेज/रियायत स्वीकृत किये जाने हेतु उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन अधिनियम, 2012 की धारा-14 के अन्तर्गत अनुकूलित पैकेज हेतु दिशानिर्देश विनिर्माणक और सेवा क्षेत्र में निवेश संवर्द्धन के लिए उद्योगों को अनुकूलित पैकेज की स्वीकृति हेतु दिशानिर्देश।

1. संदर्भ

- 1.1 उत्तराखण्ड निवेश शिखर सम्मेलन 2018 की सफलता के साथ, बहुत से व्यवसायियों ने उत्तराखण्ड में निवेश कर राज्य के आर्थिक विकास में अपना सहयोग दिया है। विभिन्न क्षेत्रों में कई छोटी और बड़ी परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को सरकार की नीतियों, अर्थात् उत्तराखण्ड एमएसएमई नीति और मेगा इण्डस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति के साथ-साथ क्षेत्र-विशिष्ट नीतियों के माध्यम से वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए गये हैं। इनमें से कई परियोजनाओं की स्थापना का कार्य पूर्ण कर उत्पादन प्रारम्भ कर दिया गया है। अभी भी कई बड़ी परियोजनायें ग्राउण्डिंग के लिए पाइपलाइन में हैं।
- 1.2 अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ है कि मेगा इण्डस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति-2021 के तहत प्रदान किए गए निवेश के लिए प्रोत्साहन का अनुपात निवेश की मात्रा बढ़ने पर कम हो जाता है। मामले के अध्ययन करने पर (अनुबंध-7) यह स्पष्ट हुआ है कि रु. 100 करोड़ और रु. 300 करोड़ के निवेश की परियोजनाओं में पूंजी निवेश बढ़ने पर अनुदान या प्रोत्साहन का प्रभाव प्रतिशत के संदर्भ में कम हो जाता है, क्योंकि प्रोत्साहन सहायता के अनुपात में परियोजना की लागत उच्च निवेश की ओर बढ़ती रहती है।
- 1.3 यह भी स्पष्ट हुआ है कि अल्ट्रा-मेगा परियोजनाएं, औद्योगिक विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती हैं और सहायक तथा अनुप्रवाह उद्योगों को आकर्षित करता है। बड़ी परियोजनाओं के निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्य मामले-दर-मामला आधार पर अनुकूलित प्रोत्साहन पैकेज प्रदान कर रहे हैं। उत्तराखण्ड के संदर्भ में, इन परियोजनाओं को अल्ट्रा मेगा या विशेष श्रेणी की परियोजनाओं के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ऐसे उद्योगों को राज्य के भीतर औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अधिमान्य या अनुकूलित प्रोत्साहन पैकेज दिए जा सकते हैं।
- 1.4 उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन अधिनियम, 2012 की धारा-14 के तहत अनुकूलित पैकेज प्रदान करने का प्रावधान है, लेकिन दिशानिर्देशों के अधीन और कार्यान्वयन के लिए एक अधिसूचित प्रक्रिया न होने के कारण इसका उपयोग नहीं किया गया है। इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि बृहत परियोजनाओं के लिए अनुकूलित प्रोत्साहन के प्रावधान को क्रियान्वित करने हेतु दिशानिर्देश तैयार किए जाए। जैसा कि मेगा इण्डस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति में परिभाषित किया गया है, ये दिशानिर्देश केवल लार्ज, मेगा, अल्ट्रा मेगा तथा सुपर अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं पर लागू होते हैं। रु. 200 करोड़ अथवा इससे अधिक अचल पूंजी निवेश की परियोजनाओं को अनुकूलित पैकेज प्रदान करने तथा इस प्रावधान के प्रभावी और सुचारु कार्यान्वयन के लिए यह दिशानिर्देश प्रख्यापित किए जा रहे हैं।

2. परिभाषा

- 2.1 दिशानिर्देश: उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन अधिनियम, 2012 की धारा-14 के तहत अनुकूलित पैकेज के लिए दिशानिर्देश।

- 2.2 आवेदक:** इन दिशानिर्देशों के प्रयोजन के लिए, आवेदक पात्रता मानदंड के अनुसार भारत में पंजीकृत एक इकाई होनी चाहिए, जो राज्य में माल/वस्तुओं के निर्माण या राज्य से सेवाएं प्रदान करने का प्रस्ताव करता है और इन दिशानिर्देशों के तहत अनुकूलित प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए आवेदन कर रहा है। आवेदक को राज्य में किसी भी ग्रीनफील्ड या ब्राउन फील्ड परियोजना में विस्तार/विविधीकरण में एक प्रारंभिक निश्चित निवेश करना होगा।
- 2.3 आवेदन पत्र:** एक आवेदक द्वारा परियोजना समीक्षा समिति (पीआरसी) को इन दिशानिर्देशों के अधीन निर्धारित आवेदन पत्र के प्रारूप पर सूचनाओं एवं अन्य वांछित अभिलेखों तथा आवेदन शुल्क के साथ प्रस्तुत किया गया आवेदन।
- 2.4 आवेदन पावती तिथि:** जिस तारीख को इस संबंध में प्रारंभिक जांच करने के बाद परियोजना समीक्षा समिति द्वारा एक आवेदन को स्वीकार किया गया है।
- 2.5 आवेदन स्वीकृति तिथि:** वह तिथि, जिस तिथि को प्राधिकृत समिति (ईसी) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अन्तर्गत आश्वासन पत्र "निश्चय पत्र" जारी किया गया है।
- 2.6 आधार वर्ष:** जिस वर्ष में आवेदन जमा किया जाता है, उसे आधार वर्ष माना जाएगा।
- 2.7 ब्राउनफील्ड परियोजना:** कोई भी पात्र परियोजना, सीमा से अधिक, या तो चालू या गैर-संचालन, या तो वर्तमान मालिक या नए मालिक द्वारा जहां नया निवेश किया जा रहा है। तथापि, इन दिशानिर्देशों के प्रयोजन के लिए मौजूदा सुविधा के विस्तार के लिए अलग रिकॉर्ड बनाए रखा जाएगा।
- 2.8 वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि:** जिस तारीख को आवेदक दिशानिर्देशों के तहत निर्मित योग्य उत्पादों की बिक्री के लिए पहला जीएसटी चालान जारी करता है।
- 2.9 रोजगार का अर्थ है,** उत्पादन प्रक्रिया या उत्पादन सुविधा के लिए, जब कच्चा माल संबंधित गतिविधियों के संचालन हेतु उपयोग में लाया जाता है और अन्तिम उत्पाद के निर्माण तक संलग्न प्रक्रिया से सृजित प्रत्यक्ष रोजगार। सेवाओं के मामले में, सेवायोजन की संख्या की गणना आवेदक द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियोजित लोगों में से की जायेगी। सहयोग अथवा तीसरे पक्ष द्वारा नियोजित लोगों को इसमें सम्मिलित नहीं किया जायेगा। इस तरह के रोजगार में इकाई में ऑन-रोल, संविदात्मक और अपरेंटिस कार्यबल भी शामिल होंगे।
- 2.10 परियोजना समीक्षा समिति (पीआरसी):** आवेदनों की समीक्षा एवं जांच सचिव, उद्योग की अध्यक्षता में गठित एक सदस्यीय समिति द्वारा की जायेगी। महानिदेशक/आयुक्त उद्योग तथा निदेशक उद्योग संभावित आर्थिक प्रभाव का विश्लेषण करने, अतिरिक्त जानकारी एकत्र करने में सहायता, परियोजना के बारे में वित्तीय जानकारी को समझने और अवगत कराने आदि के लिए सचिव, उद्योग को सहायता प्रदान करेंगे। परियोजना समीक्षा समिति आवेदक द्वारा प्रस्तुत परियोजना विवरण का मूल्यांकन करेगा और इसमें आवश्यक अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने के साथ-साथ स्थलीय निरीक्षण भी किया जा सकता है। परियोजना समीक्षा समिति अपनी संस्तुति प्राधिकृत समिति को प्रस्तुत करेगी। सचिव, उद्योग आवश्यकता पड़ने पर केंद्र/राज्य सरकारों या अन्यथा जैसे कानूनी, सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त, अन्य क्षेत्रों आदि से अन्य विशेषज्ञों को इस प्रक्रिया में शामिल अथवा उनका परामर्श प्राप्त कर सकते हैं।
- 2.11 प्राधिकृत समिति (ईसी):** प्राधिकृत समिति का स्वरूप निम्नानुसार होगा:
- | | | |
|----|----------------------------------|--------------------------|
| 1. | मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन | अध्यक्ष, प्राधिकृत समिति |
| 2. | सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन | सदस्य |
| 3. | सचिव, उद्योग, उत्तराखण्ड शासन या | सदस्य सचिव |

परियोजना समीक्षा समिति का अध्यक्ष

- 2.12 उच्च प्राधिकृत समिति (एचईसी): उच्च प्राधिकृत समिति का स्वरूप निम्नानुसार होगा:
1. मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड अध्यक्ष
 2. मा0 मंत्री, औद्योगिक विकास, उत्तराखण्ड सदस्य
- 2.13 वित्तीय वर्ष: वित्तीय वर्ष का तात्पर्य 1 अप्रैल से प्रारम्भ होकर अगले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष से है।
- 2.14 अप्रत्याशित घटना: असाधारण घटनाएँ या परिस्थितियाँ जो मानव नियंत्रण से परे हैं जैसे कि ईश्वर के कार्य के रूप में वर्णित घटनाएँ (जैसे प्राकृतिक आपदा) या युद्ध, हड़ताल, सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल, दंगे, अपराध जैसी घटनाएँ (लेकिन इसमें लापरवाही या गलत काम, अनुमानित मौसमी बारिश और विशेष रूप से बाहर रखी गई कोई अन्य घटना शामिल नहीं है)।
- 2.15 ग्रीनफील्ड परियोजना: एक पात्र परियोजना जिसमें आवेदक द्वारा इन दिशानिर्देशों के तहत एक नई उत्पादन/सेवा सुविधा या विस्तार के उद्देश्य के लिए प्रारंभिक निवेश की समान निवेश राशि में न्यूनतम प्रारंभिक निवेश करने का प्रस्ताव है। इन दिशानिर्देशों के प्रयोजन के लिए अलग-अलग रिकॉर्ड बनाए जाने हैं।
- 2.16 प्रोत्साहन का अर्थ इन दिशानिर्देशों के प्रावधानों के आधार पर प्रत्येक चयनित आवेदक को प्रदान किया जाने वाला वित्तीय प्रोत्साहन/लाभ से है।
- 2.17 पात्र निवेश: नए संयंत्र, यथा: भवन, मशीनरी, उपकरण और उसी की संबद्ध उपयोगिताओं (पुर्ज, एक्सेसरीज, कंपोनेंट्स और उसके पुर्जों सहित) पर किया गया व्यय, जो किसी भी निर्मित माल या सेवाओं के डिजाइन, निर्माण, संयोजन, परीक्षण, पैकेजिंग या प्रसंस्करण में उपयोग किया जाता है। एसोसिएटेड यूटिलिटीज में सर्वर, सॉफ्टवेयर और ईआरपी समाधान सहित विनिर्माण से संबंधित आईटी और आईटीईएस अवसंरचना भी शामिल होगी। उक्त परिभाषित संयंत्र, मशीन और उपकरण की लागत में इनके परिवहन, अधिष्ठापन, बीमा शुल्क को भी सम्मिलित किया जायेगा।
- 2.18 अपात्र निवेश: इन दिशानिर्देशों के तहत परियोजना/इकाई के लिए आवश्यक भूमि, भूमि विकास या कार्यशील पूंजी पर किए गए व्यय को प्रारंभिक निवेश सीमा के हिस्से के रूप में नहीं माना जाएगा।
- 2.19 सक्षम प्राधिकारी: परियोजना समीक्षा समिति या प्राधिकृत समिति द्वारा नियुक्त अधिकृत प्राधिकारी/सक्षम प्राधिकारी, जो आवेदनों की प्राप्ति और मूल्यांकन, पात्रता के सत्यापन और उचित समझे जाने वाले किसी भी तरीके/दस्तावेज के माध्यम से संवितरण दावों की जांच के लिए अपनी ओर से कार्य करने तथा इन दिशानिर्देशों के अनुसार उपर्युक्त प्रबंधन के लिए उत्तरदायी हो।
- 2.20 थ्रेसहोल्ड निवेश: इन दिशानिर्देशों के पात्रता मानदंड के तहत निर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अन्तर्गत पात्रता के लिए निर्धारित न्यूनतम निवेश।
- 2.21 थ्रेसहोल्ड रोजगार: इन दिशानिर्देशों के पात्रता मानदंड के तहत निर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अन्तर्गत पात्रता के लिए सृजित किए जाने वाले रोजगार की न्यूनतम संख्या।
3. वैधता:
- 3.1 यह दिशानिर्देश अधिसूचना जारी होने की तारीख से लागू होंगे और अगले पांच वर्षों तक प्रभावी रहेंगे।

- 3.2 इन दिशानिर्देशों के प्रावधानों में किसी भी प्रकार की छूट प्रदान करने का अधिकार सरकार में निहित होगा।
- 3.3 मा0 मुख्यमंत्री, प्राधिकृत समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर, इन दिशानिर्देशों में, यदि आवश्यक हो, संशोधन कर सकते हैं।
4. पात्रता मानदंड और आवेदक का चयन
- 4.1 आवेदन के लिए पात्रता
- 4.1.1 फर्म को 'कंपनी अधिनियम, 2013' (संशोधनों सहित) के तहत कंपनी रजिस्ट्रार के कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए। भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप भी आवेदन करने के पात्र होंगे।
- 4.1.2 विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में निवेश, दोनों लाभ के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।
- 4.1.3 आवेदक को दिवालिया या विलफुल डिफॉल्टर या डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया हो या किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा धोखाधड़ी के लिए उसके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी हो।
- 4.1.4 न्यूनतम थ्रेसहोल्ड सीमा:
- 4.1.4.1 निवेश: 200 करोड़ रुपये या उससे अधिक के 'निवेश' वाली परियोजनाएं इन दिशानिर्देशों के तहत लाभ के लिए पात्र होंगी, या
- 4.1.4.2 रोजगार: प्रचालन के पहले वर्ष से आवेदक इकाई 500 व्यक्तियों को वर्ष में प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करने में सक्षम हो।
- 4.1.5 इन दिशानिर्देशों के तहत आवेदक को अनुमोदित वित्तीय प्रोत्साहनों के वितरण की पात्रता निर्धारित करने के उद्देश्य से, आवेदक खण्ड 4.1.4 के तहत उल्लिखित न्यूनतम सीमा मानदंड को पूरा करने और इसके प्रारंभ होने के बाद प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र होगा:
- 4.1.5.1 विनिर्माण क्षेत्र की इकाइयों के लिए स्वनिर्मित उत्पाद के उत्पादन प्रारम्भ करने के पश्चात।
- 4.1.5.2 सेवा क्षेत्र की इकाइयों के लिए उत्तराखण्ड एसजीएसटी आधारित चालान पर व्यवसायिक गतिविधि के प्रचालन का प्रथम बिल जारी करने के दिनांक के पश्चात।
- 4.1.6 इन दिशानिर्देशों के तहत पात्रता किसी अन्य नीति के तहत पात्रता को प्रभावित नहीं करेगी या इसके विपरीत नहीं होगी।
- 4.1.7 अनुकूलित पैकेज के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करने वाले आवेदक उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य नीतियों के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे।
- 4.1.8 पात्र आवेदक, खण्ड-2.16 के अनुसार पात्र निवेश के 100 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अन्तर्गत कुल अनुमन्य प्रोत्साहन सहायता के अध्यक्षीन, भारत सरकार की किसी अन्य योजना में प्रदत्त प्रोत्साहन सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- 4.2 चयन:
- 4.2.1 परियोजना समीक्षा समिति आवेदन के आधार पर मूल्यांकन करेगा जिसके आधार पर वह परियोजना की सिफारिश प्राधिकृत समिति को अनुमोदन के लिए भेजेगा। मूल्यांकन के

लिए चेकलिस्ट अनुबंध 8 में दी गई है।

- 4.2.2** परियोजना समीक्षा समिति को एक आवेदन को अस्वीकार करने का अधिकार है, भले ही आवेदक न्यूनतम निवेश मानदंडों को पूरा करता हो। परियोजना समीक्षा समिति को आवेदन की अस्वीकृति के लिए प्रासंगिक कारण बताना होगा। अस्वीकृति का कारण आवेदक के साथ साझा नहीं किया जाएगा, लेकिन प्राधिकृत समिति के समक्ष समीक्षा के उद्देश्य से यह आवेदन/दस्तावेज प्रस्तुत किया जायेगा।

5. निवेश राशि की पात्रता के लिए नियम एवं शर्तें:

5.1 सामान्य नियम और शर्तें:

- 5.1.1** चूंकि ऐसे अनुकूलित पैकेजों को प्रदान करने से पहले अन्य राज्य सरकारों द्वारा गैर-प्रकटीकरण समझौता किया जाता है और परियोजनाओं को दी जा रही प्रोत्साहन राशि के बारे में जानकारी सरकार और इकाई के बीच में ही रहती है। यदि इकाई एनडीए का उल्लंघन करती है, तो इकाई प्रदान की जा रही प्रोत्साहन राशि ब्याज सहित वापस करने के लिए उत्तरदायी होगी।
- 5.1.2** इन दिशानिर्देशों में परिभाषित निवेश, दिशानिर्देशों के तहत पात्रता निर्धारित करने के लिए विचार किया जाएगा बशर्ते कि ऐसा निवेश इन दिशानिर्देशों के जारी होने के बाद किया गया हो।
- 5.1.3** उपभोज्य सामग्रियों और विनिर्माण के लिए प्रयुक्त कच्चे माल पर व्यय को निवेश के रूप में नहीं माना जाएगा।
- 5.1.4** दिशानिर्देशों के तहत खरीद चालान की तारीख को निवेश की तारीख माना जाएगा।
- 5.1.5** पात्र निवेश के किसी भी हिस्से के लिए बिलिंग पता उत्तराखण्ड राज्य में अवस्थित किसी स्थान का होना चाहिए।
- 5.1.6** आवेदक इकाई एक समझौते पर हस्ताक्षर करके एक परिचालन लॉक-इन अवधि में प्रवेश करेगी, जो कि उत्पादन शुरू होने की तारीख से न्यूनतम 15 वर्ष की होगी:
- 5.1.6.1** विनिर्माण क्षेत्र की इकाइयों के लिए परियोजना का उत्पादन।
- 5.1.6.2** सेवा क्षेत्र की इकाइयों के लिए उत्तराखण्ड एसजीएसटी आधारित चालान पर पहली बिक्री को मान्यता।

5.2 संयंत्र, मशीनरी और उपकरण के लिए नियम एवं शर्तें

- 5.2.1** इन दिशानिर्देशों के खंड 2.15.1 में परिभाषित नए संयंत्र, मशीनरी और उपकरण पर किए गए व्यय को इन दिशानिर्देशों के तहत पात्रता निर्धारित करने के लिए निवेश के रूप में माना जाएगा।
- 5.2.2** आवेदक के नाम पर नया संयंत्र, मशीनरी और उपकरण खरीदा/पट्टे पर लिया जाना चाहिए। जिन मामलों में इन्हें पट्टे पर दिया जा रहा है, पट्टा लेखा मानक 19 – पट्टे या भारतीय लेखा मानक – 116 पट्टे के अर्थ के भीतर एक वित्तीय पट्टे की प्रकृति में होना चाहिए, जैसा कि आवेदक पर लागू हो सकता है, जैसा कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय या समय-समय पर किसी अन्य उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित किया गया है।
- 5.2.3** लागू करों और शुल्कों के भुगतान के बाद कानूनी रूप से वैध दस्तावेजों के माध्यम से संयंत्र, मशीनरी और उपकरण की खरीद या पट्टे पर ली जानी चाहिए।

6.

आवेदन की प्रक्रिया

- 6.1 आवेदन के साथ जमा की गई सूचना/आंकड़े के सत्यापन के लिए आवेदक को अपने निर्माण स्थल/कार्यालयों के अनुबंध-1 की सहमति वाले ऑडिट के प्रारूप में एक अंडरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी।
- 6.2 निर्धारित प्रारूप में एक आवेदन प्राप्त होने पर, परियोजना समीक्षा समिति इस बात की जांच करेगी कि क्या आवेदन प्रथम दृष्टया इन दिशानिर्देशों में निर्धारित पात्रता मानदंड को पूरा करता है। पूर्वोक्त प्रथम दृष्टया परीक्षा में मूल आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 15 कार्य दिवसों के भीतर या यदि मूल आवेदन अपूर्ण होने पर वापस कर दिया गया हो, तो संशोधित आवेदन जमा करने की तारीख से 15 कार्य दिवसों के भीतर पूरी की जाएगी।
- 6.3 यदि उपर्युक्त परीक्षा में कोई आवेदन अपूर्ण पाया जाता है, तो परियोजना समीक्षा समिति आवेदन प्राप्त होने के 15 कार्य दिवसों के भीतर आवेदक को तदनुसार सूचित करेगी।
- 6.4 एक पात्र आवेदन के लिए, परियोजना समीक्षा समिति एक गैर-प्रकटीकरण समझौते के साथ आवेदन प्राप्त होने के 15 कार्य दिवसों के भीतर आवेदन की प्राप्ति की पावती जारी करेगी, जिस पर दोनों पक्षों (आवेदक और परियोजना समीक्षा समिति) द्वारा हस्ताक्षर किए जाने की आवश्यकता है।
- 6.5 इस पावती को इन दिशानिर्देशों के तहत अनुमोदन या आश्वासन के बाद के रूप में नहीं माना जाएगा। यदि जांच करने पर यह पाया जाता है कि एक मूल या संशोधित आवेदन प्रथम दृष्टया निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो परियोजना समीक्षा समिति आवेदक को आवेदन प्राप्त होने के 15 कार्य दिवसों के भीतर तदनुसार सूचित करेगी।
7. परियोजना समीक्षा समिति (पीआरसी)
- 7.1 इन दिशानिर्देशों को एक परियोजना समीक्षा समिति (पीआरसी) के माध्यम से लागू किया जाएगा जो सचिवीय, प्रबंधकीय और कार्यान्वयन सहायता प्रदान करने और समय-समय पर प्राधिकृत समिति द्वारा सौंपे गए अन्य जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए उत्तरदायी होगी।
- 7.2 परियोजना समीक्षा समिति निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगी:
- 7.2.1 आवेदनों की प्राप्ति, आवेदनों की जांच और प्रसंस्करण और पावती जारी करना।
- 7.2.2 इन दिशानिर्देशों के तहत प्राप्त और संसाधित आवेदनों की स्थिति के सम्बन्ध में एक पक्ष के भीतर प्राधिकृत समिति को सूचना/विवरण प्रस्तुत करना।
- 7.2.3 इन दिशानिर्देशों के तहत आवेदनों के अनुमोदन के लिए प्राधिकृत समिति को उपयुक्त संस्तुति करना।
- 7.2.4 प्रोत्साहन के संवितरण के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए थ्रेसहोल्ड का सत्यापन।
- 7.2.5 प्रोत्साहन के संवितरण के दावों की जांच करना और प्राधिकृत समिति को उचित संस्तुति करना।
- 7.2.6 निर्धारित दस्तावेजों के साथ संवितरण दावों के समाधान का सत्यापन।
- 7.2.7 अनुबंध-3 और अन्य जानकारी/दस्तावेजों के अनुसार तिमाही समीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से इन दिशानिर्देशों की प्रगति और प्रदर्शन के संबंध में आंकड़ों का संकलन।
- 7.3 परियोजना समीक्षा समिति आवश्यक समझे जाने पर आवेदक से अतिरिक्त जानकारी, विवरण और दस्तावेजों को मांग सकता है।
- 7.4 परियोजना समीक्षा समिति को स्थलीय निरीक्षण के माध्यम से एक आवेदक की विनिर्माण इकाइयों और कार्यालयों का भौतिक निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

- 7.5 परियोजना समीक्षा समिति को इन दिशानिर्देशों के तहत निवेशकों द्वारा प्राप्त लाभों की समीक्षा, निगरानी, प्रबंधन और कार्यान्वयन और प्रशासनिक कार्य करने के लिए विषय वस्तु, परियोजना प्रबंधन में विशेषज्ञों की एक टीम बनाने का अधिकार होगा।
- 7.6 राज्य में मौजूदा नीतियों और भूमि आवंटन प्रक्रिया के उपयोग को अनुकूलित करने के लिए आवेदक को समझाने का प्रयास किया जाएगा। यदि परियोजना इन दिशा-निर्देशों के पात्रता मानदंडों में योग्य है, तो परियोजना प्रस्तावक को एक आवेदन करने के लिए निर्देशित किया जाएगा।
- 7.7 इन दिशानिर्देशों के तहत, दिशानिर्देशों के खंड 5 के अनुसार पात्र निवेश राशि का 100 प्रतिशत तक प्रोत्साहन प्रदान किया जायेगा, जिसकी अधिकतम मात्रा/सीमा उत्पादन प्रारम्भ करने की तारीख से 10 वर्षों की अवधि में विभिन्न राज्य करों, स्टाम्प ड्यूटी और अन्य लेवी के माध्यम से राज्य को अर्जित अनुमानित राजस्व (पूंजी निवेश या परियोजना के ग्राउंडिंग के दौरान भुगतान किए गए करों और लेवी सहित) से अधिक नहीं होगी।
- 7.8 यह सुनिश्चित करने के लिए कि निवेशक द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं को लागू किया गया है, प्रतिपूर्ति के माध्यम से प्रोत्साहन प्रदान करना प्राथमिकता होगी। हालाँकि, जैसा कि मामले में अपेक्षित हो, निवेशित पूंजीगत व्यय पर प्रोत्साहन भी प्रदान किया जा सकता है।

8. प्राधिकृत समिति (ईसी)

- 8.1 प्राधिकृत समिति आवेदनों और संवितरण दावों पर समय पर विचार सुनिश्चित करने और इन दिशानिर्देशों की आवधिक समीक्षा करने के लिए जितनी बार आवश्यक हो, बैठक करेगा।
- 8.2 प्राधिकृत समिति इन दिशानिर्देशों के तहत अनुमोदन के लिए परियोजना समीक्षा समिति द्वारा अनुशंसित आवेदनों पर विचार करेगा। प्राधिकृत समिति ऐसी अतिरिक्त जानकारी मांग सकता है, जिसे अनुमोदन के लिए आवश्यक समझा जाए।
- 8.3 अनुमोदन के लिए आवेदनों पर विचार करते समय प्राधिकृत समिति यह सुनिश्चित करेगा कि देय प्रोत्साहनों की कुल राशि इन दिशानिर्देशों के वित्तीय परिव्यय से अधिक नहीं है।
- 8.4 प्राधिकृत समिति इन दिशानिर्देशों के तहत चयनित आवेदक के निवेश, रोजगार सृजन के संबंध में समय-समय पर समीक्षा करेगा।
- 8.5 प्राधिकृत समिति संवितरण के दावों पर विचार करेगा, जैसा कि परियोजना समीक्षा समिति द्वारा जांच की गई और प्रोत्साहन के संवितरण के लिए सिफारिश की गई है।
- 8.6 अप्रत्याशित जोर दिये जाने वाले मामलों में, प्राधिकृत समिति मामले-दर-मामला आधार पर इन दिशानिर्देशों के तहत किसी भी खंड को संशोधित, परिवर्द्धित या वापस ले सकती है।
- 8.7 प्राधिकृत समिति इन दिशानिर्देशों के कार्यकाल के दौरान जब भी आवश्यक समझा जाए, हितधारकों से परामर्श कर सकती है।

9. इन दिशानिर्देशों के तहत अनुमोदन

- 9.1 परियोजना समीक्षा समिति आवेदनों पर कार्रवाई करेगा और अनुमोदन के लिए प्राधिकृत समिति को उपयुक्त सिफारिशें करेगा।
- 9.2 प्राधिकृत समिति परियोजना समीक्षा समिति द्वारा संस्तुत आवेदनों की संवीक्षा करेगी। प्राधिकृत समिति में यह शक्ति निहित होगी कि वह आवेदन निरस्त/संशोधित/संस्तुत कर सकेगी और तदनुसार अनुमोदन के लिए उच्च प्राधिकृत समिति (एचईसी) को अग्रेषित करेगी।
- 9.3 दिशानिर्देशों के तहत प्राधिकृत समिति, परियोजनाओं पर चर्चा के दौरान किसी सदस्य के प्रतिनिधि

को भाग लेने की अनुमति नहीं देगी और गणपूर्ति (Quorum) स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्राधिकृत समिति के सदस्यों की किसी भी संख्या की उपस्थिति में आवेदन पर विचार/निरस्त/संशोधन/संस्तुति करने का अधिकार होगा और तदनुसार अनुमोदन के लिए उच्च प्राधिकृत समिति (एचईसी) को अग्रेषित करने की शक्ति निहित होगी।

- 9.4 उच्च प्राधिकृत समिति (एचईसी) को निवेश के आवेदन पर अंतिम अनुमोदन का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
- 9.5 आवेदन जमा करने की तारीख से 90 दिनों के भीतर सभी आवेदनों को अंतिम रूप दिया जाएगा।
- 9.6 उच्च प्राधिकृत समिति (एचईसी) से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात, प्राधिकृत समिति 5 कार्य दिवसों के भीतर चयनित आवेदक को आश्वासन पत्र "निश्चय पत्र" जारी करेगा।
- 9.7 परियोजना शुरू करने के लिए प्राधिकृत समिति द्वारा आश्वासन पत्र जारी करने के 15 दिनों के भीतर आवेदन की स्थिति को संप्रेषित करने, आश्वासन पत्र साझा करने और निवेशक को आमंत्रित करने के लिए परियोजना समीक्षा समिति उत्तरदायी होगी। लैटर ऑफ एरयोरेंस "निश्चय पत्र" में स्पष्ट रूप से निम्नलिखित का उल्लेख होगा:

- i. आवेदक का नाम
- ii. लक्ष्य क्षेत्र
- iii. प्रस्तावित निवेश एवं रोजगार
- iv. उत्पादन शुरू होने की निर्धारित तिथि
- v. शर्तों के विवरण के साथ प्रोत्साहन अनुसूची
- vi. निवेश, संचालन, कारोबार और रोजगार अनुसूची पर निवेशक की प्रतिबद्धता
- vii. अन्य अनुपालन, वित्तीय प्रोत्साहनों की वार्षिक सीमा आदि
- viii. संचयी निवेश की वार्षिक सीमा

इस दस्तावेज़ के अनुलग्नक -6 के तहत एक चित्रमय प्रतिनिधित्व प्रदर्शित किया गया है।

10. पोस्ट अप्रूवल

- 10.1 परियोजना समीक्षा समिति या परियोजना समीक्षा समिति द्वारा गठित टीम, प्रतिबद्ध निवेश के संबंध में जब भी आवश्यक हो, चयनित आवेदक द्वारा की गई परियोजना की प्रगति की निगरानी करेगी।

11. सूचना का सार्वजनिक प्रकटीकरण

- 11.1 प्रोत्साहनों की गणना, आश्वासन पत्र और संबंधित दस्तावेज सार्वजनिक डोमेन में साझा नहीं किये जायेंगे। जैसे कि, ऐसी जानकारी की सार्वजनिक पहुँच से:

- i. अन्य फर्मों के साथ हितों का टकराव उत्पन्न हो सकता है।
- ii. राज्य के आर्थिक हित के लिए यह खतरा उत्पन्न कर सकते हैं।
- iii. आवेदक फर्म के साथ उल्लंघन का मामला विकसित हो सकता है।
- iv. आवेदक फर्म की संरक्षित जानकारी का उल्लंघन हो सकता है।

- 11.2 इन दिशानिर्देशों के तहत उल्लिखित निवेशक, आवेदक और प्रक्रियाओं को लागू करने के लिए उपयोग की जाने वाली पद्धति अथवा प्रदान की गई जानकारी/दस्तावेजों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संशोधन सहित) की धारा-8 और धारा-9 के तहत संरक्षित किया जाएगा। प्रोत्साहन गणना के लिए एक मार्गदर्शक संरचना अलग से विकसित की जायेगी, जिसे 'सूचना का

अधिकार अधिनियम, 2005 (संशोधन सहित) की धारा -8 और धारा -9 के तहत भी संरक्षित किया जाएगा।

12. प्रोत्साहन अनुसूची की गणना

- 12.1 आवेदक को वितरित किया जाने वाला वार्षिक प्रोत्साहन वार्षिक प्रोत्साहन की सीमा के अधीन होगा, जैसा कि लैटर ऑफ एस्योरेंस "निश्चय पत्र" में कहा गया है।
- 12.2 दिशानिर्देशों के खंड-5 के तहत कुल स्वीकृत प्रोत्साहन की अधिकतम वार्षिक सीमा 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष होगी।
- 12.3 प्रोत्साहन संवितरण अनुसूची दिशानिर्देशों के खंड-4 के तहत उल्लिखित पात्रता मानदंड को पूरा करने की तारीख से शुरू होगी।
- 12.4 यह अधिकतम स्वीकृत प्रोत्साहन राशि के संवितरण या 10 वर्ष की शेष समयावधि, जो भी पहले घटित हो, तक जारी रहेगी।

13. प्रोत्साहनों का संवितरण

- 13.1 इन दिशानिर्देशों के तहत प्रोत्साहन का दावा करने के लिए, आवेदकों को परियोजना समीक्षा समिति के समक्ष प्रोत्साहन के संवितरण के लिए दावे प्रस्तुत करने होंगे। आवेदकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दावे सभी प्रकार से पूर्ण हैं और इन दिशानिर्देशों के अनुबंध 4 में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न हों।
- 13.2 एक आवेदक केवल अर्ध-वार्षिक या वार्षिक आधार पर प्रोत्साहन के संवितरण के लिए दावा प्रस्तुत कर सकता है जो कि अप्रैल से सितंबर और अक्टूबर से मार्च या अप्रैल से मार्च की अवधि में की गई प्रतिबद्धताओं के लिए। किसी भी अवधि के लिए दावा केवल एक बार किया जाएगा जब तक कि यह वापस नहीं लिया जाता है, और उक्त अवधि के लिए बाद के किसी भी भाग के दावे की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 13.3 परियोजना समीक्षा समिति आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए संवितरण दावे की जांच करेगा। परियोजना समीक्षा समिति पात्रता को सत्यापित करेगा और इन दिशानिर्देशों में निर्धारित विधि और आवेदक को जारी किए गए लैटर ऑफ एस्योरेंस "निश्चय पत्र" के आधार पर आवेदक को देय प्रोत्साहन का आंकलन करेगा।
- 13.4 परियोजना समीक्षा समिति को प्रोत्साहन के दावे के संबंध में किसी भी दस्तावेज को सत्यापित करने का अधिकार होगा, जिसमें सांविधिक लेखा परीक्षक प्रमाण पत्र और विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, एजेंसियों को प्रस्तुत विवरणी शामिल हैं, लेकिन यह यहीं तक सीमित नहीं है। परियोजना समीक्षा समिति को आवश्यक समझी जाने वाली सीमा तक लेखापरीक्षक प्रमाण पत्र, बैंक विवरण आदि के माध्यम से क्रमशः बिक्री और निवेश के अनुरूप अंतिम वसूली और निपटान भुगतान की जांच करने का भी अधिकार होगा।
- 13.5 पात्रता और देय प्रोत्साहन राशि, या अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के निर्वहन में किसी भी अन्य मामले के संबंध में किसी भी संदेह के मामले में, परियोजना समीक्षा समिति ऐसे मामले को स्पष्टीकरण के लिए प्राधिकृत समिति को संदर्भित कर सकता है और इस संबंध में प्राधिकृत समिति का निर्णय अंतिम होगा।
- 13.6 परियोजना समीक्षा समिति इस तरह के दावे की प्राप्ति की तारीख से 90 दिनों के भीतर प्रोत्साहन के संवितरण के दावे को संसाधित करेगा और प्राधिकृत समिति को उचित सिफारिशें करेगा।
- 13.7 प्राधिकृत समिति परियोजना समीक्षा समिति द्वारा जांच और सिफारिश के अनुसार प्रोत्साहन के संवितरण के दावों पर विचार और अनुमोदन करेगा।

- 13.8 परियोजना समीक्षा समिति आवेदक द्वारा सभी पूर्व-वितरण औपचारिकताओं को पूरा करने और प्राधिकृत समिति से अनुमोदन के बाद स्वीकृत धनराशि का संवितरण करेगा।
- 13.9 प्रोत्साहनों का संवितरण केवल आवेदक के नाम पर पीएफएमएस या समायोजन के किसी अन्य तंत्र के माध्यम से प्रत्यक्ष बैंक हस्तांतरण के रूप में होगा।
- 13.10 यदि परियोजना समीक्षा समिति या प्राधिकृत समिति इस बात से असंतुष्ट है कि इन दिशानिर्देशों के तहत पात्रता या प्रोत्साहनों का संवितरण तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने या जानकारी के मिथ्याकरण द्वारा प्राप्त किया गया है, प्राधिकृत समिति आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के बाद, संवितरण की तारीख पर प्रचलित 3 साल की एसबीआई एमसीएलआर पर गणना की गई ब्याज के साथ प्रोत्साहन राशि वापस करने के लिए कह सकता है।
- 13.11 खंड 13.10 के तहत उल्लिखित प्रोत्साहनों की वापसी की विफलता के मामले में; दिशानिर्देश लाभ की अवधि के दौरान संयंत्र, मशीनरी और अन्य पूंजीगत संपत्तियों पर पहला अधिकार सरकार के पास निहित रहेगा, जिससे सरकार इन पूंजीगत परिसंपत्तियों की नीलामी के माध्यम से संवितरित प्रोत्साहनों की वसूली कर सके।
- 13.12 प्राधिकृत समिति इन दिशानिर्देशों के तहत परियोजना समीक्षा समिति द्वारा प्रोत्साहनों के वितरण के लिए बजटीय प्रावधान करेगा। परियोजना समीक्षा समिति तिमाही आधार पर समेकित राशि के रूप में प्राधिकृत समिति को बजटीय आवश्यकताएं प्रस्तुत करेगा।
- 13.13 परियोजना समीक्षा समिति तिमाही आधार पर प्रोत्साहनों के लिए प्राप्त संवितरण दावों, संवितरित राशि, अस्वीकृति के कारणों, प्रोत्साहनों के संवितरण में देरी के विवरण के साथ प्राधिकृत समिति को सूचना प्रस्तुत करेगा।
14. **समीक्षा**
- 14.1 इन दिशानिर्देशों की प्रगति और प्रदर्शन के संबंध में प्राधिकृत समिति द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाएगी।
15. **अवशिष्ट**
- 15.1 एक आवेदक कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) के साथ अद्यतन करने के बाद, इन दिशानिर्देशों के कार्यकाल के दौरान अंशधारिता के पैटर्न में किसी भी बदलाव के बारे में परियोजना समीक्षा समिति को सूचित करेगा।
- 15.2 इन दिशानिर्देशों की अवधि के दौरान एक आवेदक के अंशधारित पैटर्न में यदि कोई भी परिवर्तन, जो हिताधिकारी के उत्तराधिकारी की ओर ले जाता है, परियोजना समीक्षा समिति द्वारा प्रोत्साहन के संवितरण पर विचार करने हेतु प्राधिकृत समिति के अनुमोदन के लिए सूचित किया जाएगा।
- 15.3 उत्तराधिकारी के हित के मामले में, आवेदक द्वारा किए गए सभी निवेश, जिसे इन दिशानिर्देशों के तहत अनुमोदन प्रदान किया गया है, पात्रता निर्धारित करने के लिए, अनुमोदन के अधीन और प्राधिकृत समिति द्वारा निर्धारित किसी अन्य शर्त के अनुपालन के अधीन, जैसा उचित समझा जाए, विचार किया जायेगा।
- 15.4 पात्र उत्पाद के निर्माण के लिए कोई पुराना/प्रयुक्त/नवीनीकृत संयंत्र, मशीनरी, उपकरण, उपयोगिताओं, या अनुसंधान एवं विकास उपकरण का उपयोग नहीं किया जाएगा।

N

Vm

(डॉ० पंकज कुमार पाण्डेय)

सचिव।

Guidelines for Customized Package under Section-14 of The Uttarakhand Enterprises Single Window Facilitation and Clearance Act, 2012

Guidelines for Customised Package for Industry for promoting investments in Manufacturing and Service Sector.

1. Context

1.1 With the success of Uttarakhand Investment Summit 2018, lot of businesses showed interest in making investments in Uttarakhand and help in economic development of the State. Memorandum of Understanding (MoUs) were signed for numerous small and large projects, across various sectors. The Government provided financial incentives for these projects through State Government Policies, i.e., Uttarakhand MSME Policy and Mega Industrial policy as well as sector-specific policies. Many of these projects have been grounded and started production. Yet a lot of big projects are still in pipeline for grounding.

1.2 It is noted that the proportion of incentives to investment provided under 'Uttarakhand Mega Industrial and Investment Policy 2021' (Mega Policy) decrease as the amount of investment increases. A case study for investment amount of INR 100 and INR 300 crores is placed as Annexure-7. It is evident from the case study that the effect of the subsidies or incentives decreases on percentage terms as the project moves towards higher investment.

1.3 It is also to be noted that ultra-mega projects (of investment size of > INR 200 Crores, as defined in Mega Policy), act as a catalyst for industrial growth and attracts ancillary and downstream industries. To facilitate the investment of large projects, States like Andhra Pradesh, Maharashtra, Uttar Pradesh and Rajasthan provide customised incentives on a case-to-case basis. in Uttarakhand context, these projects may be defined as Ultra Mega or special category projects. Such industries may be given preferential or customized offers to fuel industrial growth within the State.

1.4 Uttarakhand's Single Window Act 2012 also has a provision for providing customised package under Section-14 but it hasn't been used, due to a lack of guidelines and a notified procedure for implementation. It is thus decided that guidelines may be formulated to operationalise the provision of customised incentives for large size projects. As defined in Mega Policy, these guidelines are applicable only on Ultra Mega Project, i.e., on investments of more than INR 200 Crores. These guidelines are being issued for effective and smooth implementation of this provision on providing customised package.

2. Definition

2.1 **The Guidelines:** "Guidelines for Customized Package under Section-14 of The Uttarakhand Enterprises Single Window Facilitation and Clearance Act, 2012."

2.2 **Applicant:** For the purpose of these Guidelines, applicant shall be an entity registered in India, as per eligibility criteria, proposing to manufacture goods in the state or provide services from the state and is making an application for seeking customised

incentive under these Guidelines. The applicant shall make a threshold investment in any Greenfield or expansion/ diversification in a brown field project in the state.

- 2.3 Application:** Application submitted by an applicant to the Project Review Committee (PRC) as per the Application Form prescribed under these guidelines containing requisite information, along with supporting documents and application fee.
- 2.4 Application Acknowledgement Date:** The date on which an application is acknowledged by the PRC after carrying out initial scrutiny in this regard.
- 2.5 Application Approval Date:** The date on which the Letter of Assurance “Nishchaya Patra” under the Guidelines is issued by the Empowered Committee (EC).
- 2.6 Base Year:** Year in which application is submitted, will be considered as Base year.
- 2.7 Brownfield project:** Any eligible project, above threshold limits, either operative or non-operative, where fresh investment is being made, either by current owner or new owner. Separate records shall however be maintained for the expansion of an existing facility for the purpose of these Guidelines.
- 2.8 Date of Commercial production:** The date on which the applicant raises the first GST invoice for the sale of Eligible Product(s) manufactured under the Guidelines.
- 2.9 Employment:** It means the number of direct jobs created in the production process or with related activities beginning from when materials enter a production facility and up until the resultant manufactured goods leave the production facility. In case of services, number of jobs will be calculated as people employed by the applicant and not affiliates or by third parties. Such employment shall include on-roll, contractual and apprentice workforce employed within the State only.
- 2.10 Project Review Committee (PRC):** To review and scrutinize applications, one member Committee has been constituted under the Chairmanship of Secretary, Industries. Director General/ Commissioner and Director, Industries may support Secretary to analyse potential economic impact, support in gathering additional information, understand and apprise about the financials regarding the project, etc. The PRC shall evaluate the project details furnished by the application and may include additional information required as well as site visits. PRC shall furnish its recommendations to Empowered Committee. Secretary, Industries may seek/ involve other experts from the Central/ State Governments or otherwise e.g., legal, information technology, finance, other sectors, etc. as and when required.
- 2.11 Empowered Committee (EC):** The composition of the Empowered Committee will be as follows:

Member	Designation in Committee
Chief Secretary, Government of Uttarakhand	Chairman, Empowered Committee
Secretary, Finance, Government of Uttarakhand	Member
Secretary, Industries, Government of Uttarakhand or Chairman Project Review Committee	Member Secretary

- 2.12 High Empowered Committee (HEC):** The composition of the High Empowered

Committee will be as follows:

	Member	Designation in Committee
	Chief Minister, Government of Uttarakhand	Chairman
	Minister, Industrial Development, Government of Uttarakhand	Member
2.13	Financial Year: Financial Year begins on the 1st April of a year and ends on 31st March of the following year.	
2.14	Force Majeure: Extraordinary events or circumstances beyond human control such as events described as an act of God (like a natural calamity) or events such as a war, strike, public health emergency, riots, crimes (but not including negligence or wrongdoing, predictable! seasonal rain and any other events specifically excluded)	
2.15	Greenfield Project: A eligible project wherein minimum threshold investment is proposed to be made by the applicant under these Guidelines in a new production/ services facility or the same investment amount of initial investment for expansion purpose. Separate records are to be maintained for the purpose of these Guidelines.	
2.16	Incentive: Incentive is the financial benefit to be provided to each selected applicant based on the provisions of these Guidelines.	
2.17	Eligible Investment: Eligible Investment shall mean expenditure incurred on new Plant, i.e., Building, Machinery, Equipment and Associated Utilities (including parts, accessories, components, and spares thereof) of the same, used in the design, manufacturing, assembly, testing, packaging or processing of any of manufactured goods or services delivered. Associated utilities would also include IT and ITES infrastructure related to manufacturing including servers, software and ERP solutions. Including transport, installation and insurance charges of Plant, Machine and Equipment.	
2.18	Ineligible Investment: The expenditure incurred on land required, land developer working capital for the project/unit shall not be considered as part of threshold investment limit, under these Guidelines.	
2.19	Competent Authority: PRC or any other authority(ies) appointed by EC, refers to the competent authority to act on its behalf for receipt and appraisal of applications, verification of eligibility and examination of disbursement claims through any method/document deemed appropriate and for managing the above-mentioned in accordance with these guidelines.	
2.20	Threshold Investment: The minimum investment to be made for eligibility under these Guidelines as specified under eligibility criterion of these guidelines.	
2.21	Threshold Employment: The minimum number of employments to be created for eligibility under these Guidelines as specified under eligibility criterion of these guidelines.	

3. Validity

- 3.1** These Guidelines will come into force from the date of issue of the notification and will be effective for the next five years.



- 3.2 The right to provide any kind of relaxation in the provisions of these Guidelines will be vested in the Government.
- 3.3 These guidelines can be amended by The Chief Minister at any time, basis on the recommendations made by Empowered Committee, as and when required.
4. **Eligibility Criterion and Selection of Applicant**
- 4.1 **Eligibility for Application**
- 4.1.1 The firm should be registered with Registrar of Companies under 'The Companies Act, 2013' (including the amendments). Startups recognized by Government of India or any State Government shall also be eligible to apply.
- 4.1.2 Investment into manufacturing and service sector, both are eligible to apply for the benefits.
- 4.1.3 The applicant should not have been declared as bankrupt or wilful defaulter or defaulter or reported as fraud by any bank or financial institution or non-banking financial company.
- 4.1.4 **Minimum Threshold Limits:**
- 4.1.4.1 Investment: Projects with 'Eligible Investment' of INR 200 Crores or more shall be eligible for the benefits under these Guidelines, OR
- 4.1.4.2 Employment: The applicant entity should be able to generate direct employment of 500 personals/ annum, starting from the first year of Operations.
- 4.1.5 For the purpose of determining the eligibility of disbursement of approved fiscal incentives to the applicant under these Guidelines; the applicant shall be eligible to avail incentives after meeting the Minimum Threshold Limits criteria mentioned under clause 4.1.4 and the commencement of:
- 4.1.5.1 Production of the project for manufacturing sector units.
- 4.1.5.2 First sale recognised on Uttarakhand SGST based invoice for service sector units.
- 4.1.6 Eligibility under these Guidelines shall not affect eligibility under any other policy and vice versa.
- 4.1.7 Applicants availing incentives under customised packages are not eligible to avail incentives under other policies notified by the Government of Uttarakhand.
- 4.1.8 Eligible Applicant can apply for incentives being provided under any scheme of Government of India; subject to the total incentives being under the maximum limit of 100% of Eligible Investment as per clause 2.16
- 4.2 **Selection**
- 4.2.1 The PRC will evaluate the application basis on which it will recommend the project for approval to EC. Checklist for evaluation is placed at Annexure 8.
- 4.2.2 PRC has the right to reject an application even if the applicant meets the

minimum investment criteria. The PRC will have to provide a relevant reason for the rejection of the application. The reason for rejection will not be shared with the applicant but will be documented for the purpose of review for EC.

5. Terms & Conditions for Eligible Investment Amount

5.1 General Terms & Conditions

5.1.1 As the Non-Disclosure Agreement is done by other State Governments before providing these customised packages, the information regarding the incentive amount being given to the projects will be between the Government and the party itself. If the party is found to be in violation of the NDA, then the party will be liable to return the incentive being provided.

5.1.2 Eligible Investment shall be considered for determining eligibility under the Guidelines provided such Investment is made after issuance of these Guidelines.

5.1.3 Expenditure on consumables and raw material used for manufacturing shall not be considered as Investment.

5.1.4 The date of purchase invoice would be considered as the date of investment under the Guidelines.

5.1.5 Billing address for any part of eligible investment should be of a location in the State of Uttarakhand.

5.1.6 The applicant unit shall enter into an operational lock-in period by signing an agreement, which is minimum of 15 years starting from the date of commencement of:

5.1.6.1 Production of the project for manufacturing sector units.

5.1.6.2 First sale recognised on Uttarakhand SGST based invoice for service sector units

5.2 Terms & Conditions for Plant, Machinery and Equipment

5.2.1 Expenditure incurred on new Plant, Machinery and Equipment as defined in Clause 2.16 of these guidelines shall be considered as Investment for determining eligibility under these Guidelines.

5.2.2 New Plant, Machinery and Equipment should be purchased/leased in the name of the applicant. In cases where these are being leased, the lease should be in the nature of a financial lease within the meaning of Accounting Standard 19 — Leases or Indian Accounting Standard (Ind-AS) — 116 Leases, as may be applicable to the applicant, as notified by Ministry of Corporate Affairs or any other appropriate authority from time to time.

5.2.3 Plant, Machinery and Equipment should be procured/leased through legally valid documents after payment of applicable taxes and duties.

6. Application procedure

6.1 An applicant shall submit an undertaking in the format of Annexure 1 consenting audit of their manufacturing site/offices for verification of information/data submitted along

with the application.

- 6.2 On receipt of an application in the prescribed format, Project Review Committee will conduct an examination as to whether the application prima facie meets the eligibility criterion as prescribed in these guidelines. The aforesaid prima facie examination shall be completed within 15 working days from the date of receipt of the original application or any subsequent submission of the revised application if the original filling was returned as incomplete earlier.
- 6.3 In case, on the above-mentioned examination, an application is found to be incomplete, Project Review Committee shall inform the applicant accordingly within 15 working days of receipt of the application.
- 6.4 For an eligible application, Project Review Committee shall issue an acknowledgement of receipt of the application within 15 working days of receipt of the application along with an Non-Disclosure Agreement, that needs to be signed by both the parties (Applicant and PRC).
- 6.5 This acknowledgement shall not be construed as approval or Letter of Assurance under these Guidelines. In case, where on examination it is found that an original or a revised application does not prima facie meet the criteria as prescribed, the Project Review Committee shall inform the applicant accordingly within 15 working days of receipt of application.

7. Project Review Committee (PRC)

- 7.1 These Guidelines will be implemented through a Project Review Committee (PRC) which will be responsible for providing secretarial, managerial and implementation support and carrying out other responsibilities as assigned by Empowered Committee (EC) from time to time.
- 7.2 The PRC shall be responsible for:
 - 7.2.1 Receipt of applications, examination and processing of applications and issuing acknowledgements.
 - 7.2.2 Fortnight submission to EC, the status of applications received and processed under these Guidelines.
 - 7.2.3 Making appropriate recommendations to the EC for approval of applications under these Guidelines.
 - 7.2.4 Verification of thresholds for determining eligibility for disbursement of incentive.
 - 7.2.5 Examination of claims for disbursement of incentive and making appropriate recommendations to the EC.
 - 7.2.6 Verification of the reconciliation of disbursement claims with prescribed documents.
 - 7.2.7 Compilation of data regarding progress and performance of these Guidelines through Quarterly Review Reports as per Annexure 3 and other information/documents.

- 7.3 The PRC may request additional information, details and documents from the applicant as deemed necessary.
- 7.4 The PRC will have the right to carry out a physical inspection of an applicant's manufacturing units and offices through a site visit.
- 7.5 The PRC is empowered to form a team of experts in subject matter, project management as and when required to review, monitor, manage and implement the benefits availed by the investors under these Guidelines and to carry out the administrative work.
- 7.6 Efforts will be made to convince the applicant to optimise use of existing policies and land allotment procedure in the state. In case, the project is fitting into the eligibility criteria of these guidelines, project proponent will be guided to make an application.
- 7.7 Total fiscal incentives up to 100% of eligible investment amount as per clause 2.16 with Terms & Conditions as per clause 5 of The Guidelines, may be provided; with a maximum limit of estimated revenue accrued to the state through various State Taxes, Stamp Duty and other Levies in 10 years of period from the date of start of operations (including taxes and levies paid during capital investment or grounding of the project).
- 7.8 Preference will be to provide incentive by way of reimbursements to ensure that the commitments made by the investor have been implemented. However, as the case warrants, incentives may also be provided on capex invested.

8. Empowered Committee (EC)

- 8.1 The EC shall meet as often as necessary to ensure timely consideration of applications and disbursement claims and conduct a periodic review of these Guidelines.
- 8.2 The EC will consider applications, as recommended by the PRC, for approval under these Guidelines. The EC may seek such additional information, as considered necessary for approval.
- 8.3 The EC while considering applications for approval shall ensure that the total amount of incentives payable does not exceed the Financial Outlay of these Guidelines.
- 8.4 The EC will conduct a periodic review of the selected applicant with respect to their investments, employment generation under these Guidelines.
- 8.5 The EC will consider claims for disbursement, as examined and recommended by the PRC, for disbursement of incentive.
- 8.6 In case of a Force Majeure Event, the EC may amend, modify or withdraw any Clause under these Guidelines on case-to-case basis.
- 8.7 The EC may hold stakeholder consultation as and when deemed necessary during the tenure of these Guidelines.

9. Approval under these Guidelines

- 9.1 The PRC shall process the applications and make appropriate recommendations to the EC for approvals.
- 9.2 The Empowered Committee will scrutinize the applications recommended by the Project Review Committee. The Empowered Committee shall be vested with the

power to reject/modify/recommend the application and accordingly forward it to the Higher Empowered Committee (HEC) for approval.

- 9.3** The Authorized Committee, under the guidelines, shall not allow the representative of any member to participate during the discussion on the projects and there is no need to establish a quorum. The Empowered Committee shall have the power to consider/reject/modify/recommend the application in the presence of any number of members and accordingly shall have the power to forward it to the Higher Empowered Committee (HEC) for approval.
- 9.4** The High Empowered Committee (HEC) reserves the right of final approval on the investment application.
- 9.5** All the applications will be finalized within 90 days from the date of application submission.
- 9.6** After getting the approval from the High Empowered Committee (HEC), the Empowered Committee will issue the letter of assurance "Nischay Patra" to the selected applicant within 5 working days.
- 9.7** The PRC shall be responsible for communicating application status, sharing the Letter of Assurance and inviting investor within 15 days of issuing the Letter of Assurance by EC, for project commencement. The Letter of Assurance "Nishchaya Patra" shall clearly State the following:
- i.** Name of Applicant
 - ii.** Target Sector
 - iii.** Proposed Investment and Employment
 - iv.** Scheduled date of commencement of production
 - v.** Incentive Schedule with details on conditions
 - vi.** Investor's commitment on investment, operations, turnover and employment schedule
 - vii.** Other compliances, annual ceiling offiscal incentives, etc.
 - viii.** Yearly threshold of cumulative Investment.

A graphical representation is demonstrated under Annexure-6 of this document.

10. Post Approval

- 10.1** PRC or the team formed by PRC shall monitor the progress of the project made by the selected applicant as and when required with respect to investment committed.

11. Public Disclosure of the Information

- 11.1** The calculation of incentives, the Letter of Assurance and related documents are not subject to share in public domain. As, public access of such information may:

- i.** Create conflict of interest with other firms,
- ii.** Become threat to the economic interest of the State,
- iii.** Develop matter of infringement with the applicant firm,

iv. Violate the protected information of the applicant firm,

11.2 The information/ documents provided by the investor, applicant; and procedures, methodology used to implement, mentioned under these Guidelines shall be protected under the Section-8 and Section-9 of 'The Right to Information Act, 2005 (including amendments). A guiding framework for incentive calculation shall be developed separately which shall also be protected under the Section-8 and Section-9 of 'The Right to Information Act, 2005 (including amendments).

12. **Calculation of Incentive Schedule**

12.1 The annual incentive to be disbursed to the applicant shall be subject to the ceiling of the annual incentive, as stated in the Letter of Assurance "Nishchaya Patra".

12.2 The maximum annual limit shall be 10% per annum of total approved incentive under the clause 5 of The Guidelines.

12.3 The incentive disbursement schedule shall start from the date of fulfilling the Eligibility Criteria mentioned under the clause 4 of The Guidelines

12.4 It shall be continued till the disbursement of maximum approved incentive or remaining time period of 10 years; whichever event occurs earlier.

13. **Disbursement of Incentives**

13.1 For claiming incentives under these Guidelines, applicants will be required to submit claims for disbursement of incentives to the PRC. Applicants must ensure that the claims are complete in all respects and are accompanied by all the required documents as per the format prescribed in Annexure 4 of these guidelines.

13.2 An applicant may submit a claim for disbursement of incentive only on a half-yearly or annual basis that is for the commitments made in the period of April to September and October to March or April to March. Claims for any period shall be made only once unless withdrawn, and no subsequent part claim shall be allowed for the said period.

13.3 The PRC will examine the disbursement claim as submitted by an applicant. The PRC shall verify eligibility and assess incentive payable to an applicant based on the method laid down in these guidelines and the Letter of Assurance "Nishchaya Patra" issued to the applicant.

13.4 The PRC will have the right to verify any document(s) in relation to the claim for incentive including but not limited to statutory auditor certificates and returns furnished to various Ministries, Departments, Agencies. The PRC shall also have the right to examine the end realization and settlement payments corresponding to sales and investment respectively by way of auditor's certificate, bank statements etc. to the extent deemed necessary.

13.5 In case of any doubt with respect to determining eligibility and incentive amount due, or any other matter in the discharge of its duties and responsibilities, the PRC may refer such matter to EC for clarification and the decision of EC shall be final in this regard.

13.6 The PRC shall process the claim for disbursement of incentive within 90 days from

the date of receipt of such claim and make appropriate recommendations to the EC.

- 13.7** The EC will consider and approve claims for disbursement of incentive, as examined and recommended by the PRC.
- 13.8** The PRC shall disburse funds after completion of all pre-disbursal formalities by the applicant and approval from EC.
- 13.9** The disbursement of incentives will be in the form of Direct Bank Transfer through PFMS or any other mechanism of adjustment in the name of the applicant only
- 13.10** If the PRC or EC is dissatisfied that eligibility under these Guidelines or disbursement of incentives have been obtained by misrepresentation of facts or falsification of information, EC may ask the applicant to refund the incentives along with interest calculated at 3 years SBI MCLR prevailing on the date of disbursement, compounded annually, after giving an opportunity to the applicant of being heard.
- 13.11** In case of failure of refund of incentives as mentioned under the clause 13.10; The first right on Plant, Machinery and other Capital Assets, shall remain with the Government during the period of Guidelines benefits. Whereby the Government may recover the incentives disbursed, through auction of these capital assets.
- 13.12** EC shall make budgetary provisions for disbursement of incentives by the PRC under these Guidelines. The PRC will submit budgetary requirements to EC as a consolidated amount on quarterly basis.
- 13.13** The PRC shall furnish information to EC with details of disbursement claims received for incentives, amount disbursed, reasons for rejection, delay in disbursement of the incentives on a quarterly basis.

14. Review

- 14.1** Periodic reviews will be undertaken by the EC with respect to progress and performance of these Guidelines.

15. Residual

- 15.1** An applicant shall intimate the PRC of any change in the shareholding pattern during the tenure of these Guidelines, after updating with the Registrar of Companies (RoC).
- 15.2** Any change in the shareholding pattern of an applicant leading to a successor-in-interest during the tenure of these Guidelines, shall be intimated by PRC for approval of the EC to consider for disbursement of incentives.
- 15.3** In case of a successor-in-interest, all Investment undertaken by the applicant to whom approval was accorded under these Guidelines, would be considered for determining eligibility, subject to approval and compliance with any other condition stipulated by the EC, as may be deemed appropriate.
- 15.4** No second hand/used/refurbished plant, machinery, equipment, utilities, or R&D equipment shall be used to manufacture the eligible product.

ND
V

By order,


(Dr. Pankaj Kumar Pandey)
Secretary.